भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *324
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 24 मार्च, 2025
03 चैत्र, 1947 (शक)

वाल्मीकि नगर के लौरिया में चंपारण संग्रहालय

*324. **श्री सुनील कुमार:**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार के वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि आश्रम, माता नरदेवी मंदिर, जटाशंकर धाम, कौलेश्वर नाथ मंदिर, मौर्य सम्राज्य के अति प्राचीन खंडहर आदि जैसे अनेक सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं;

(ख) क्या वाल्मीकि नगर में सांस्कृतिक विरासत स्थलों में लौरिया का अति प्राचीन बौद्ध स्तंभ तथा रामनगर का महर्षि भर्तहरी और काली माता के मंदिर भी शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लौरिया में चंपारण संग्रहालय स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 24.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *324 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): वाल्मीकि आश्रम, माता नरदेवी मंदिर, जटाशंकर धाम और कौलेश्वर नाथ मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र के अधीन संरक्षित स्मारक नहीं हैं। तथापि, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित सात स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल हैं। उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. चंकीगढ़ में खंडहर किला
2. लौरिया नंदनगढ़ में अशोक स्तंभ
3. लौरिया नंदनगढ़ में वैदिक कब्रगाह
4. मरहिया में खंडहर किला
5. महरिया में वैदिक कब्रगाह
6. पाकरी में वैदिक कब्रगाह
7. रामपूर्वा में अशोक स्तंभ

(ख): पश्चिमी चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोक स्तंभ एक संरक्षित स्मारक है और इसकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। तथापि, रामनगर में महर्षि भर्तृहरि और काली माता के मंदिर संरक्षित घोषित नहीं हैं।

(ग): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****